न्यायालय श्रीमान् राजस्व प्रमंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश

(16) (145)

राजस्व अपील क्रमांक /2004

अपील 1505-PBR/07

श्रीमती रमादेवी अग्रवाल उम्र लगभग 82 वर्ष धंधा गृहकार्य पत्नी स्व.श्री तारा चंद्र जी अग्रवाल निवासिनी श्री रामवार्ड मन्डला तहसील व जिला मंडला म.प्र. ....**अपीलार्थी**

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन ...**प्रतिअपीलार्थी**

श्री ओ.पी. अग्रवाल अधिवक्ता ... प्रस्तुतकर्ता ... 04 ... 2004 ... 4-10-04

अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा राजस्व अपील कंमांक 462 अ 39/2001-2002 में पारित आदेश दिनांक 21/6/2004 जो कि कलेक्टर मंडला द्वारा राजस्व प्रकरण कंमांक 138 अ 99/2000 में पारित आदेश दिनांक 7/5/2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी से पीड़ित होकर वर्तमान अपील निम्न तथ्यों एवं कानूनी आधारों पर प्रस्तुत कर रही है

477
4/10/04

नोटः- (चूंकि वर्तमान अपील को प्रस्तुत करने की समयावधि 3/10/2004 को समाप्त हुई है तथा उपरोक्त दिनांक को रविवार के अवकाश के कारण अपील दिनांक 4/10/2004 को प्रस्तुत की जा रही है जो कि समयावधि में है)

क्रमांक 2648 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 31-8-07 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

तथ्य

1. अपीलार्थी के पति स्व. श्री ताराचंद्र जी अग्रवाल आत्मज सेठ श्री गोपाल दास के पक्ष में 17/6/68 को नजूल शीट नं. 19 डी प्लाट नं. 228/1 क्षेत्रफल 1357.5 वर्गफुट जमीन के स्थाई पटटे का नवीनीकरण किया गया था उपरोक्त नवीनीकरण के पूर्व उपरोक्त जमीन स्व. ताराचंद्र जी के पिता गोपालदास जी को दी गई थी उपरोक्त नजूल पटटे की जमीन पर गोपालदास जी द्वारा मकान का निमार्ण किया गया था तथा वे उपरोक्त मकान में निवास कर रहे थे तथा सामने के एक हिस्से में व्यापार करते चले आ रहे थे गोपालदास की मृत्यु के बाद ताराचंद जी उनके उत्तराधिकारी होने से उपरोक्त जमीन पर बने मकान का पूर्ववत रहवास एवं एक हिस्से का व्यापार के रुप में उपयोग कर रहे थे तथा ताराचंद जी अपने जीवन काल तक उपरोक्त मकान पर मालिक काबिज रहे उपरोक्त पटटे के नवीनीकरण समय उपरोक्त पटटे का भू- भाटक 19.67 तय किया गया था जिसे ताराचंद जी अपने जीवनकाल तक चुकता करते रहे ।

(695)

2. ताराचंद जी की मृत्यु 5/12/90 को हो गई वे अपने पीछे अपनी पत्नि अपीलार्थी एवं 2 पुत्र सुनील कुमार अनिल कुमार पुत्रियां श्रीमति दुर्गेश, श्रीमति मनोज अग्रवाल एवं श्रीमति अर्चना अग्रवाल को छोड़ गये हैं स्व . ताराचंद जी की मृत्यु के बाद अपीलार्थी द्वारा अपने पुत्र सुनील कुमार एवं अनिल कुमार का नाम उपरोक्त प्लाट में दर्ज करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था जिसमें श्रीमति दुर्गेश ए[...] [...]ति मनोज एवं श्रीमति अर्चना अग्रवाल द्वारा अपनी सहमति दी गई थी जिसके आधार प[...] [...]/91 को नजूल अधिकारी मंडला द्वारा आदेश पारित कर अपीलार्थी के साथ सुनील कुमार ए[...] [...]कुमार का नाम उपरोक्त भू खंड पर दर्ज करने का आदेश पारित किया था ताराचंद जी [...]

अपी. 1505 PAR/07

27.4.16	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। ~~पिछली~~ पेशी पर उनके अधिवक्ता उपस्थित थे। आवेदक एवं उनके अधिवक्ता को समय समय पर तीन बार आवाज लगवाई गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं है।	

[क्र. प. उ.

अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अध्यक्ष